

हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्या:पीसीएच-एचसी(7)1 / 2008


दिनांक

13 मार्च, 2015

कार्यालय आदेश

जिला परिषद के व्यवसायिक परिसरों/भवनों/परिसम्पतियों तथा जिला स्तरीय पंचायत भवनों को निलामी से किराये पर देने के लिए सम्बन्धित जिलाधीश की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों की कमेटी गठित की जाती है:-


1. अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण/ग्रामीण विकास, (जिला मुख्यालय) सदस्य
2. स्थानीय उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) सदस्य
3. जिला पंचायत अधिकारी सदस्य सचिव



प्रधान सचिव (पंचायत)
हिमाचल प्रदेश सरकार
13 मार्च, 2015

पृ0सं0-उपरोक्त-40856-938 दिनांक
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त, अध्यक्ष जिला परिषद हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त, जिलाधीश हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त जिला पंचायत अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
5. अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण/ग्रामीण विकास, (जिला मुख्यालय) हिमाचल प्रदेश।


उप सचिव (पंचायत)
हिमाचल प्रदेश सरकार